रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2019/पौष 24, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 707

No. 5] DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2019/PAUSA 24, 1940 [N.C.T.D. No. 707

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवाएं विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, **11** जनवरी, 2019

**सं. फा. 20/13/2017/एस–1/एलआईटी/1092–1100.**–इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के ''सेवायें'' से संबद्ध मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओ ए, एम ए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये श्रीमती अवनीश अहलावत को स्थायी काउंसिल के रूप में नियुक्ति की अवधि को बढ़ाते हैं, जिनका प्रतिवाद दिनांक 11.12.2018 से एक वर्ष की आगामी अवधि के लिये किया गया है।

स्थायी काउंसिल के रूप में श्रीमती अवनीश अहलावत की नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय–समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं. फा. 5(10)/91/वि./345 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

**SERVICES DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th January, 2019

**No. F. 20/13/2017/S-I/Lit./1092-1100.—**In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the term of appointment of Smt. Avnish Ahlawat as Standing Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it for a further period of one year from 11.12.2018.

The appointment of Smt. Avnish Ahlawat as Standing Counsel is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Order No.F.5/10/91-Lit./345 dated 26th February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

**अधिसूचना**

दिल्ली, **11** जनवरी, 2019

**सं. फा. 20/13/2017/एस–1/एलआईटी/1101–1110.**–इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के ''सेवायें'' से संबद्ध मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओ ए, एम ए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये अपर स्थाई काउंसिल के रूप में निम्नलिखित अधिवक्ताओं की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाते हैं, जिनका प्रतिवाद दिनांक 11.12.2018 से एक वर्ष की आगामी अवधि के लिये किया गया है।

1. श्री यीशु जैन
2. डॉ. जोहेब हुसैन

अपर स्थायी काउंसिल के रूप में उपरोक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय–समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं. फा. 5(10)/91/वि./345 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th January, 2019

**No.F.20/13/2017/S-I/Lit./1101-1110.—**In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the term of appointment of following Advocates as Additional Standing Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it for a further period of one year from 11.12.2018.

1. Sh. Yeeshu Jain
2. Dr. Zoheb Hossain

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Order No.F.5/10/91-Lit./345 dated 26th February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

**अधिसूचना**

दिल्ली, **11** जनवरी, 2019

**सं. फा. 20/13/2017/एस–1/एलआईटी/1111–1119.**–इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के ''सेवायें'' से संबद्ध मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओ ए, एम ए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये पैनल काउंसिल के रूप में निम्नलिखित अधिवक्ताओं की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाते हैं, जिनका प्रतिवाद दिनांक 11.12.2018 से एक वर्ष की आगामी अवधि के लिये किया गया है।

1. सुश्री मिनी पुष्करणा
2. श्रीमती विभा महाजन सेठ
3. श्री सुब्रमनियम बीकेवी
4. श्री गौरव ढ़ींगरा
5. श्री नौशाद अहमद खान
6. श्री वी0 बालाजी
7. सुश्री रूचिरा गुप्ता
8. सुश्री लतिका चौधरी
9. श्रीमती रचना श्रीवास्तव
10. श्री सुजीत कुमार मिश्र

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय–समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 18 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. फा. 5(2)/07/वि./303–310 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th January, 2019

**No.F.20/13/2017/S-I/Lit./1111-1119 .—**In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the term of appointment of the following Advocates as Panel Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it for a further period of one year from 11.12.2018.

1. Ms. Mini Pushkarna
2. Mrs. Vibha Mahajan Seth
3. Sh. Subrahmanyam BKV
4. Sh. Gaurav Dhingra
5. Sh. Naushad Ahmed Khan
6. Sh. V. Balaji
7. Ms. Ruchira Gupta
8. Ms. Latika Choudhury
9. Smt. Rachana Srivastava
10. Sh. Sujeet Kumar Mishra

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Office Memorandum No. F. 5(2)/07/Lit./303-310 dated 18th March 2008 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

**अधिसूचना**

दिल्ली, **11** जनवरी, 2019

**सं. फा. 20/13/2017/एस–1/एलआईटी/1120–1129.**–इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध

में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के ''सेवायें'' से संबद्ध मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओ ए, एम ए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुख्य पीठ, दिल्ली के लिये अपर स्थाई काउंसिल के रूप में निम्नलिखित अधिवक्ताओं की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाते हैं, जिनका प्रतिवाद दिनांक 11.12.2018 से एक वर्ष की आगामी अवधि के लिये किया गया है।

1. श्री एच. ए. खान
2. श्रीमती ईश मजूमदार
3. श्री अमित शर्मा

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय–समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं. फा. 5(2)/07/वि./345 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th January, 2019

**No.F.20/13/2017/S-I/Lit./1120-1129 .—**In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the term of appointment of the following Advocates as Additional Standing Counsel for the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it for a further period of one year from 11.12.2018.

1. Sh. H. A. Khan
2. Mrs. Esha Mazumdar
3. Sh. Amit Sharma

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Order No.F.5/10/91-Lit./345 dated 26th February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

**अधिसूचना**

दिल्ली, **11** जनवरी, 2019

**सं. फा. 20/13/2017/एस–1/एलआईटी/1130–1137.**–इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के ''सेवायें'' से संबद्ध मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओ ए, एम ए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण, मुख्य पीठ, दिल्ली के लिये पैनल काउंसिल के रूप में निम्नलिखित अधिवक्ताओं की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाते हैं, जिनका प्रतिवाद दिनांक 11.12.2018 से एक वर्ष की आगामी अवधि के लिये किया गया है।

**1.** श्री हरि दत्त शर्मा
**2.** श्री प्रदीप कुमार
**3.** श्री प्रताप शंकर
4. श्री मनंजय कुमार मिश्रा
5 .श्री अवनीश कुमार
6. श्री जगदीश एन
7. श्री सूर्य नाथ पाण्डेय
8. श्री अमित यादव
9. सुश्री प्रतिमा के. गुप्ता
10. श्री कपिल अग्निहोत्री
11. श्री सौरभ चड्डा

12. श्री गिरीश चन्द्र झा
13. श्री समीर शर्मा
14. श्री उज्जवल कुमार झा
15. सुश्री सरिता अग्रवाल
16. श्री अमित आनंद
17. सुश्री दीपिका
18. श्री अनुज कुमार शर्मा
19. सुश्री पूर्णिमा माहेश्वरी
20. श्री श्वेतांक शान्तनु
21. श्री अतुल कुमार
22. श्री सिद्धार्थ पांडा
23. श्री रजनीश कुमार शर्मा

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय–समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 18 मार्च 2008 की अधिसूचना सं. फा. 5(2)/07/वि./303–310 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th January, 2019

**No.F.20/13/2017/S-I/Lit./1130-1137.—**In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased extend the term of appointment of Advocates as Panel Counsel for Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it for a further period of one year from11.12.2018.

1. Sh. Hari Datt Sharma
2. Sh. Pradeep Kumar
3. Sh. Pratap Shanker
4. Sh. Mananjay Kumar Mishra
5. Sh. Awanish Kumar
6. Sh. Jagdish N
7. Sh. Surya Nath Pandey
8. Sh. Amit Yadav
9. Ms. Pratima K. Gupta
10. Sh. Kapil Agnihotri
11. Sh. Saurabh Chadda
12. Sh. Girish Chandra Jha
13. Sh. Sameer Sharma
14. Sh. Ujjwal Kumar Jha
15. Ms. Sarita Aggarwal
16. Sh. Amit Anand
17. Ms. Deepika
18. Sh. Anuj Kumar Sharma
19. Ms. Purnima Maheshwari
20. Sh. Swetank Shantanu
21. Sh. Atul Kumar
22. Sh. Siddharth Panda
23. Sh. Rajneesh Kumar Sharma

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Office Memorandum No.F.5(2)/07/Lit./303-310 dated 18th March 2008 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

**अधिसूचना**

दिल्ली, **11** जनवरी, 2019

**सं. फा. 20/13/2017/एस–1/एलआईटी/1138–1146.**–इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण, मुख्य पीठ, दिल्ली के लिए स्थाई काउंसिल के पद से श्री आर. एन. सिंह के त्यागपत्र को दिनांक 4.7.2018 से स्वीकार करते हैं।

**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th January, 2019

**No. F. 20/13/2017/S-I/Lit./1138-1146 .—**In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to accept the resignation of Shri R.N. Singh from the post of Standing Counsel, for Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi w.e.f. from 04.07.2018.

**अधिसूचना**

दिल्ली, **11** जनवरी, 2019

**सं0फा0 20/13/2017/एस–1/एलआईटी/1147–1155.**–इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण, मुख्य पीठ, दिल्ली के लिए पैनल काउंसिल के पद से डॉ॰ विक्रान्त नारायण वासुदेव के त्यागपत्र को दिनांक 13.11.2018 से स्वीकार करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

रणजीत सिंह, अपर सचिव (सेवाएँ)

**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th January, 2019

**No. F. 20/13/2017/S-I/Lit./1147-1155 .—**In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to accept the resignation of Dr. Vikrant Narayan Vasudeva from the post of Panel Counsel, for Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi w.e.f. from 13.11.2018.

By order and in the name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

RANJEET SINGH, Additional Secretary(Services)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.01.19 17:28:34 +05'30'